न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 138/2007

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुमान पुत्र दूदा जाति रावत
2. श्रीमती तीजी पत्नि दूदा जाति रावत
3. श्रीमति कमला धर्मपत्नि गिरधारी जाति रावत
   समस्त निवासी ग्राम लोहागल तहसील अजमेर
4. श्रीमति आशा धर्मपत्नि सीताराम खण्डेलवाल जरिये विधिक वारिसानः–
   4/1 सीताराम पुत्र हजारीलाल
   4/2 विजय खण्डेलवाल पुत्र सीताराम
   4/3 संगीता खण्डेलवाल पुत्री सीताराम
   4/4 सीमा खण्डेलवाल पुत्री सीताराम
   समस्त जाति खण्डेलवाल निवासी खादी भण्डार वाली गली रामगंज अजमेर।
5. श्री रामसिंह पुत्र उदय सिंह भाटी निवासी हाउस 316/1 क्रिश्चयनगंज अजमेर
   मुख्तयारआम श्रीमती आशा खण्डेलवाल पत्नि सीताराम खण्डेलवाल

.....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :–

श्री निर्मल कुमार जैन	अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 3
श्री घनश्याम सिंह लखावत	अभिभाषक अप्रार्थी 4
श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक –01.06.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लोहागल के पुराना खसरा नम्बर 792 रकबा 01–01–10 किस्म बरड़ा व खसरा नम्बर 805 रकबा 05–02–00 बा0 3 अन्तिम चौसाला जमाबंदी सवंत 2025–28 में सिवायचक खाता संख्या 1 में दर्ज होकर राजकीय भूमि है। पुराना खसरा नम्बर 792 मिन रकबा 0–18–0 का नवीन खसरा नम्बर 1322 रकबा 0–18–0 तथा पुराने खसरा नम्बर 805 मिन रकबा 1–11–00 के नवीन खसरा नम्बर 1358 रकबा 1–11–0 बना है। भू0 संशोधन के दौरान सिवायचक भूमि नवीन खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 व खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–00 पर अप्रार्थी संख्या 1 के दादा व अप्रार्थी संख्या 2 के ससुर श्री छीतर वल्द कम्मा को अवैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रदान कर भू–संशोधन जमाबंदी के खाता संख्या 42 में उसके नाम से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। अतः ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1322 व 1358 के अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी अजमेर के नियमन आदेश क्रमांक उखअ/90 दिनांक 22.02.1995 को एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं 3 की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी 4 की ओर से श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि ग्राम लोहागल के पुराना खसरा नम्बर 792 रकबा 01–01–10 किस्म बरड़ा व खसरा नम्बर 805 रकबा 05–02–00 बा0 3 अन्तिम चौसाला जमाबंदी सवंत 2025–28 में सिवायचक खाता संख्या 1 में दर्ज होकर राजकीय भूमि है। पुराना खसरा नम्बर 792 मिन रकबा 0–18–0 का नवीन खसरा नम्बर 1322 रकबा 0–18–0 तथा पुराने खसरा नम्बर 805 मिन रकबा 1–11–00 के नवीन खसरा नम्बर 1358 रकबा 1–11–0 बना है। भू0 संशोधन के दौरान सिवायचक भूमि नवीन खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 व खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–00 पर अप्रार्थी संख्या 1 के दादा व अप्रार्थी संख्या 2 के ससुर श्री छीतर वल्द कम्मा को अवैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रदान कर भू–संशोधन जमाबंदी के खाता संख्या 42 में उसके नाम से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1984 में वर्किंग जमाबंदी का लेखनकार्य हुआ जिसमें पुनः उक्त भूमि खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 व खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–00 को पुनः अन्तिम चौसाला के आधार पर सिवायचक खाता नम्बर 1 में दर्ज किया गया। ग्राम लोहागल नगर परिषद अजमेर का पेराफेरी ग्राम है तथा पेराफेरी ग्रामो के भू–संशोधनो के अवशेष प्रकरणो के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प–12(53)राज/ग्रुप–1/71 पार्ट जयपुर दिनांक 24.11.1992 के बिन्दु संख्या 5 के परिपेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश क्रमांक उखअ/90 दिनांक 22.02.1995 के द्वारा पेरा 4 में वर्णित उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 व खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–00 को पुनः भू–संशोधन के खातेदार छीतर वल्द कम्मा के मृत हो जाने से उसके वारिस पोत्र श्री गुमान पुत्र दूदा व पुत्रवधु तीजी पत्नि दूदा जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है के नाम से नियमित कर दी गई जिसकी पालना में जर्ये नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 15.06.1995 से उक्त भूमि गुमान पुत्र दूदा व तीजी पत्नि दूदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होकर बाद में जर्ये नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 30.01.1996 से खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–0 भूमि जर्ये पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रम सं0 2004007422 दिनांक 31.10.2004 से अप्रार्थी संख्या 3 श्रीमती कमला धर्मपत्नि गिरधारी कोम रावत निवासी लोहागल को विक्रय कर दी गई। ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00, 1358 रकबा 01–11–0 का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया नियमन निम्नांकित कारणो से अवैधानिक होने के कारण खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–0 पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के क्रमशः दादा व ससुर श्री छीतर पुत्र कम्मा द्वारा भू–संशोधन में अवैध खातेदारी के दौरान ही जर्ये पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 02.08.1975 से अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती आशा धर्मपत्नि सीताराम जाति खण्डेलवाल निवासी रामगंज अजमेर को विक्रय कर दी गई थी, जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1358 पर क्रेता श्रीमति आशा खण्डेलवाल का कब्जा हो चुका था जिसका सत्यापन खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 के अनुसार होता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.1992 के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अनुसार भू–संशोधन का उक्त खातेदार श्री छीतर पुत्र कम्मा अथवा उसके मर जाने के बाद उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भू–संशोधन के अवशेष प्रकरण के रूप में नियमन हेतु कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह गये थे। खसरा नम्बर 1358 के अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मं विक्रय दिनांक 02.08.75 के पश्चात उक्त भूमि पर मुताबिक खसरा गिरदावरी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अथवा उनके दादा श्री छीतर का कभी कब्जा नहीं रहा। खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 जिसके पुराने खसरा नम्बर 792 है, खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी के अनुसार सम्वत् 2034, 2035, 2037 2038 व 2039 में ही काश्त दर्ज है। शेष किसी भी वर्ष में काश्त दर्ज नहीं है। इस प्रकार लगातार कब्जा काश्त नहीं होने से किया गया नियमन अवैधानिक है। श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर की जांच रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नम्बर 1322 व 1358 का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया उक्त नियमन अवैध पाया गया है। अतः ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1322 व 1358 के अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी अजमेर के नियमन आदेश क्रमांक उखअ/90 दिनांक 22.02.1995 को एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत रेफरेन्स की कार्यवाही करावें।

अप्रार्थी अभिभाषक संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की खसरा नम्बर पुराना 792 एवं खसरा नम्बर पुराना 805 जो कि अप्रार्थी संख्या एक व दो की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर पुश्तैनी समय से निरन्तर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पिता एवं दादा तथा अप्रार्थीगण संख्या एक व दो का भौतिकी कब्जा चला आया परन्तु चौसाला जमाबंदी में सिवाय चक दर्ज होना दर्शाया जो कि राजस्व रेकार्ड से सबंधित है जबकि उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की पुश्तैनी बापोती खातेदारी की कृषि भूमि रही तथा भू–संशोधन की जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के दादा श्री छीतर पुत्र कम्मा को खातेदार दर्ज किया गया तथा भू–संशोधन की जमाबंदी के पश्चात वर्तमान वर्किंग जमाबंदी जो कि सन् 1984 सम्वत 2041 से 2044 में कायम की गई जिसमें पुनः उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो का उनके पूर्वजों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आया कि इस कारण राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र क्रमांक प 12(53)राज0/गुप–1/74 पार्ट दिनांक 24.11.92 की पालना में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो से उक्त भूमि की कीमत लेकर सक्षम नियमन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में नियमन दिनांक 22.2.95 का की गई ऐसी अवस्था में इस प्रकार का रेफरेन्स आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का आवेदनकर्ता को कोई अधिकार ही नहीं है कारण कि इसी सन्दर्भ में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में उक्त भूमि का नियमन आदेश दिनांक 22.2.95 को किया गया कि के विरूद्ध आवेदनकर्ता तहसीलदार अजमेर के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 5/2004 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर बनाम श्रीमती तीजी अन्तर्गत धारा 20 (2) राज0 भू0 रा0 (कृषि प्रयोजनार्थ) भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया कि जिस पर निर्णय दिनांक 29.09.2004 पारित कर आवेदनकर्ता तहसीलदार अजमेर का आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि जिसमें यह दर्शाया गया कि उक्त भूमि का नियमन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.11.92 की पालना में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो से उक्त भूमि की कीमत प्राप्त कर

जिला कलक्टर
अजमेर

अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में नियमन की गई इस प्रकार नियम 20 (1क) के अन्तर्गत सक्षम नियमन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नियमन की गई ऐसी अवस्था में इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध आवेदनकर्ता को रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। खसरा नंबर पुराना 792 मिन रकबा 0–18–0 का नवीन खसरा नम्बर 1322 बने है इसी प्रकार खसरा नम्बर पुराना 805 मिन रकबा 1–11–0 के नवीन खसरा नम्बर 1358 रकबा 1–11–00 जो बना है जो सही है जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.11.92 की पालना में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो को नियमन की गई थी। हाल खसरा नम्बर 1322 एवं 1358 की भूमि के भू–संशोधन की जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या एक के दादा श्री छीतर पुत्र कम्मा जाति रावत के नाम विधिवत रूप से खातेदारी दर्ज की गई कारण विवादित भूमि कि जिस पर अप्रार्थी संख्या एक के दादा श्री छीतर पुत्र कम्मा का भी पुश्तैनी समय से कब्जा एवं काश्त निरन्तर बिना किसी दखल व्यवधान के चला आया इस कारण भू–संशोधन की जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या एक के दादा श्री छीतर पुत्र कम्मा को खातेदार दर्ज किया गया था परन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार भू–संशोधन की जमाबंदी को मान्यता नहीं दी गई एवं इसके पश्चात वर्तमान वर्किंग जमाबंदी जो कि सन् 1984 में सम्वत 2041 से 2044 में कायम की गई थी कि इस वर्तमान जमाबंदी में विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई इसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.11.92 की पालना में सक्षम नियमन अधिकारी के द्वारा विधिवत अप्रार्थीगण संख्या एक व दो से विवादित भूमि की कीमत प्राप्त कर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में निरन्तर कब्जा काश्त होने के कारण नियमन की गई एवं अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 15.6.95 के विवादित भूमि का इन्द्राज गैर खातेदारी दर्ज की गई तद्नूकूल जरिये नामान्तकरण संख्या 125 दिनांक 30.6.96 के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के नाम वर्तमान वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज दर्ज की गई इसके पश्चात अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के द्वारा पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 28.10.2004 को खसरा नम्बर 1358 रकबा 1–11–0 की भूमि अप्रार्थी संख्या तीन श्रीमति कमला पत्नि श्री गिरधारी जाति रावत को बैचान कर दी गई एवं कब्जा भी सम्भला दिया गया। तहसीलदार अजमेर के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 5/2004 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर बनाम श्री गुमान एवं श्रीमती तीजा प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 29.9.2004 को पारित कर तहसीलदार अजमेर का आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि विवादित भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.11.92 की पालना में अप्रार्थी संख्या एक व दो से भूमि की कीमत की राशि प्राप्त कर ही विधिवत नियमन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा नियमन की गई। खसरा नम्बर 805 के वर्तमान खसरा नम्बर 1358 की भूमि जिसे अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के द्वारा अप्रार्थीया संख्या तीन श्रीमति कमला को जरिये पंजीबद्ध बैनामा बैचान कर दी गई थी जिसके अनुसार खसरा नम्बर हाल 1358 की भूमि पर खरीद रोज से अप्रार्थीया संख्या चार का ही कब्जा एवं काश्त चला आया है तथा खसरा नम्बर हाल 1322 की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ही आज दिवस तक काबिज है एवं खातेदार दर्ज है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1358 के किसी भाग पर अप्रार्थीया संख्या चार श्रीमति आशा का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार सरोकार कब्जा नही था न रहा एवं आज भी नहीं है परन्तु खसरा गिरदावरी

जिला कलक्टर
अजमेर

सम्वत 2033 में अप्रार्थी संख्या एक के दादा श्री छीतर पुत्र कम्मा की काश्त थी के नाम तत्कालीन पटवारी के द्वारा दर्ज की गई परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 में श्री छीतर पुत्र कम्मा के नाम को तहसील कर्मचारियो से अप्रार्थी संख्या चार के द्वारा सम्पर्क कर राजस्व रेकार्ड में कांट छांट करवाई गई है जबकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या चार का कभी कब्जा नहीं था। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने समर्थन में RRD May, 2005 Page no. 303 पेश की गई।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 1358 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि छीतर पुत्र कम्मा के नाम खातेदारी में अंकित थी उस दौरान छीतर पुत्र कम्मा ने भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 4 को किया तथा इसी दौरान राजस्व अभिलेख के पुनः संधारण का कार्य किया गया इस दौरान स्वयं विक्रेता का नाम ही अभिलेख से हटा दिया गया इस कारण क्रेती का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं हो सका तथा क्रेती इस बाबत प्रयासरत रही तथा प्रत्येक दिन तहसील एवं भू–प्रबन्ध कार्यालय में जाना सम्भव नहीं होने के कारण विशेषाधिकार पत्र अप्रार्थी संख्या 5 के नाम निष्पादित कर उसे अधिकृत किया है। छीतर पुत्र कम्मा के वारिसो ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.92 की अनुपालना किये जाने के दौरान राजस्व कर्मचारियो के समक्ष स्वयं का कब्जा खसरा संख्या 1358 की भूमि पर नहीं होते हुए भी तथा भूमि आशा खण्डेलवाल को छीतर द्वारा विक्रय किये जाने की जानकारी के होते हुए भी तथ्यों को छिपाकर साजिशाना तौर पर इस खसरा नम्बर बाबत भी स्वयं के नाम का अंकन करवा लिया जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र आशा खण्डेलवाल के नाम होने के कारण यह भूमि आशा खण्डेलवाल के नाम खातेदारी में अंकित की जानी चाहिये। दिनांक 2.8.76 के पश्चात कभी भी छीतर पुत्र कम्मा या उसके वारिसो का कभी भूमि पर कब्जा नहीं रहा है तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा की गयी जांच में भी छीतर के वारिसो का कब्जा इस भूमि पर होना नहीं पाया गया है। सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार भी छीतर पत्र कम्मा के विक्रय के जो भी अधिकार वे क्रेता में निहित हो गये इस कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.92 की पालना में प्रविष्टि खातेदारी बाबत अप्रार्थी संख्या 4 के नाम ही की जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नही कर आदेश 22.2.95 को पारित किया गया वह अवैध है तथा गलत है तथा रेफरेन्स के माध्य से निरस्तनीय है। रेफरेन्स में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में खसरा संख्या 1358 बाबत पारित आदेश दिनांक 22.02.95 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 1358 रकबा 01–11–0 पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के क्रमशः दादा व ससुर श्री छीतर पुत्र कम्मा द्वारा भू–संशोधन में अवैध खातेदारी के दौरान ही जर्ये पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 02.08.1975 से अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती आशा धर्मपत्नि सीताराम जाति खण्डेलवाल निवासी रामगंज अजमेर को विक्रय कर दी गई थी, जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1358 पर क्रेता श्रीमति आशा खण्डेलवाल का कब्जा हो चुका था जिसका सत्यापन खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 के अनुसार होता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.1992 के अनुसार भू–संशोधन का उक्त खातेदार श्री छीतर पुत्र कम्मा अथवा उसके

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

मर जाने के बाद उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भू–संशोधन के अवशेष प्रकरण के रूप में नियमन हेतु कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह गये थे। खसरा नम्बर 1358 के अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय दिनांक 02.08.75 के पश्चात उक्त भूमि पर मुताबिक खसरा गिरदावरी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अथवा उनके दादा श्री छीतर का कभी कब्जा नहीं रहा। खसरा नम्बर 1322 रकबा 00–18–00 जिसके पुराने खसरा नम्बर 792 है, खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी के अनुसार सम्वत् 2034, 2035, 2037 2038 व 2039 में ही काश्त दर्ज है। शेष किसी भी वर्ष में काश्त दर्ज नहीं है। इस प्रकार लगातार कब्जा काश्त नहीं होने से किया गया नियमन अवैधानिक है। श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर की जांच रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नम्बर 1322 व 1358 का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया उक्त नियमन अवैध पाया गया है। अतः ग्राम लोहागल के खसरा नं. 1322 व 1358 के अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी अजमेर के नियमन आदेश क्रमांक उखअ/90 दिनांक 22.02.1995 में अप्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन निरस्त हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर